मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग / कैम्प कोर्ट)
पीठसीन अधिकारी :– श्रीमति शकुंतला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

अशोक पुत्र रिशालसिंह जाति जाट निवासी ढोभी
बनाम
1. रिशालसिंह पुत्र इन्द्राज
2. सतपाल सिंह
3. चन्द्र कला
4. गुड्डीदेवी
पुत्र-पुत्रियान रिशाल सिंह जाट निवासी ढोभी
5. State TDR भादरा

दावा बाबत :– 88 R.T. Act

मुकदमा नम्बर :– 124/2021

निर्णय दिनांक :– 26/11/2021

वादी की ओर से वकील मुंशीराम गोस्वामी की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील सतबीर बैनीवाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 26/11/2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा चक 11BHD के खाता संख्या 50/40 के मु० न० 16, 17, 18, 19, 20 कुल किता 53 की कुल 13.409 है० नहरी मय खाला प्रतिवादी रिशालसिंह के नाम 1/30 हिस्सा, चक 12BHD के खाता संख्या 50/47 के मु० न० 23, 24, 25, 36, 37, 38, 39 के कुल किता 108 की कुल 27.324 है० बारानी में प्रतिवादी रिशाल सिंह के नाम 1/30 हिस्सा, इसी प्रकार चक ढोभी बारानी के खाता संख्या 143/146 के मु० न० 118 की कुल किता 12 की कुल 3.036 है० बारानी में प्रतिवादी रिशाल सिंह के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि में वादी अशोक व प्रतिवादी संख्या 2 सतपाल सिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा त्याग वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा हो। यदि उक्त भूमि बैंक के रहन दर्ज हो तो रहन मुक्त होने पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी) RAS
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़